पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–20] रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2019 ई0 (अग्रहायण 02, 1941 शक सम्वत्) [संख्या–47

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	693–699	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	1143–1160	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

पशुपालन अनुभाग–1

"अधिसूचना"

प्रकीर्ण

08 नवम्बर, 2019 ई0

संख्या 1288/XV–1/19/7(21)17–राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, उत्तराखण्ड, पशुपालन विभाग वैक्सीनेटर सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड पशुपालन विभाग वैक्सीनेटर सेवा नियमावली, 2019

भाग एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पशुपालन विभाग वैक्सीनेटर सेवा नियमावली, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड पशुपालन विभाग वैक्सीनेटर सेवा अराजपत्रित सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद सम्मिलित हैं।

परिभाषाएँ:–

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:–

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से "निदेशक, पशुपालन" अभिप्रेत है;

(ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग–2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए;

(ग) 'संविधान' से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(घ) 'सरकार' से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(च) 'सेवा का सदस्य' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(छ) 'सचिव' से सचिव, पशुपालन उत्तराखण्ड शासन अभिप्रेत है;

(ज) 'सेवा' से उत्तराखण्ड पशुपालन विभाग वैक्सीनेटर सेवा अभिप्रेत है;

(झ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो; और

(ण) 'भर्ती का वर्ष' से किसी कलैन्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

(2) सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपनियम (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाए, उतनी होगी जो परिशिष्ट "क" में दी गई है।

परन्तु उपबन्ध यह है कि–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को उस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं, जैसा कि वे उचित समझें।

भाग तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. (1) सेवा में वैक्सीनेटर के पद पर भर्ती अनुसेवकों में से पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–अर्हता

शैक्षिक अर्हता

7. सेवा में वैक्सीनेटर के पद पर भर्ती के लिए आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति ने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

अनिवार्य अर्हता

8. सेवा में वैक्सीनेटर के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति ने:–

(क) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को अनुसेवक के रूप में कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, और

(ख) विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र पशुलोक, ऋषिकेश में टीकाकरण, दवापान एवं दवास्नान के विषय में कम से कम 03 माह का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

भाग पाँच–भर्ती की प्रक्रिया

पदोन्नति के लिए भर्ती प्रक्रिया

9. (1) वैक्सीनेटर के पद पर पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए निम्नानुसार गठित विभागीय चयन समिति के माध्यम से की जायेगी:–

(क) विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी	अध्यक्ष,
(ख) अपर निदेशक, पशुपालन	सदस्य,
(ग) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी	सदस्य।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनका चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेख चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे, जो उचित समझे जाए।

(3) चयन समिति द्वारा उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया जायेगा।

(4) चयन समिति, चयन किए गए अभ्यर्थियों को ज्येष्ठता क्रम में जो उसी संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार कर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

भाग छः—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

परिवीक्षा

10. (1) वैक्सीनेटर के पद पर पदोन्नति के उपरान्त प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि में किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा।

स्थायीकरण

11. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थाई किया जा सकेगा, यदि

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित हो; तथा

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थाईकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

ज्येष्ठता

12. सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग सात—वेतन इत्यादि

वेतनमान

13. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान परिशिष्ट "क" में दिए गए है।

भाग आठ—अन्य उपबन्ध

अन्य विषयों पर विनियमन

14. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य–कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों पर और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

व्यावृत्ति

15. इस नियमावली में किसी बात का ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर इस सम्बन्ध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था करना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट "क"

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	वैक्सीनेटर	₹ 21,700–69,100 (लेवल–3)	296

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 1288/XV-1/2019/7(21)17**, dated November 08, 2019.

NOTIFICATION

Miscellaneous

November 08, 2019

No. 1288/XV-1/2019/7(21)17–In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in Superssion of all existing Rules and Orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules with a viewto regulate recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand, Animal Husbandry Department Vaccinator Service.

Uttarakhand Animal Husbandry Department Vaccinator Service Rule, 2019

Part I-General

Short title and commencement- 1. (i) These Rulse may be called the Uttarakhand Animal Husbandry Department Vaccinator Service Rules, 2019.

(ii) They shall come force into at once.

State of service 2. Uttarakhand Animal Husbandry Department Vaccinator Service is a non gozetted services comprising Group 'C' posts.

Definitions: - 3. In these Rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(a) **'Appointing Authority'** means 'Director, Animal Husbandry' ;

(b) **'Citizen of India'** means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part-2 of the Constitution ;

(c) **'Constitution'** means the Constitution of India;

(d) **'Government'** means the State Government of Uttarakhand ;

(e) **'Governor'** means the Governor of Uttarakhand ;

(f) **'Member of the Service'** means a person substantively appointed under these rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in the cadre of the Service ;

(g) **'Secretary'** means the Secretary of Animal Husbandry, Government of Uttarakhand ;

(h) **'Service'** means the Uttarakhand Animal Husbandry Department Vaccinator Service ;

(i) **'Substantive appointment'** means an appointment , not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the Service and made after selection in accordance with the rules, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being, by executive instructions issued by the government ;

(j) **'Year of recruitment'** means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year ;

Part-II-Cadre

Cadre of service: 4. (i) The strength of service and of each category of posts therein shall be such as mey be determined by the Government from time to time.

(ii) The strength of service and each category of post therein shall untill orders varying the same are passed under subrule as given in Appendix "A".

Provided that -

(i) Appointing authorities may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation ;

(ii) The Governors may create such permanent or temporary posts as he may consider proper..

Part-III-Recruitment

Source of recruitment: 5. Recruitment to the post of vaccinator in service shall be made by promotion from amongst the peon.

Reservation- 6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories of State of Uttarakhand State shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

Part IV- Qualification

Education e Qualification 7. A person must have passed the high school examination from any recognised institution for recruitment to the post of vaccinator.

Essential Qualification 8. For recruitment to the post of vaccinator in the service, A person must:-

(a) have completed minimum five years of service as a peon on the first day of recruitment year, and

(b) have completed training of minimum three month regarding vaccination, drenching and dipping in the Departmental Training Centre, Pashulok, Rishikesh.

Part V- Procedure for Recruitment

Procedure for Recruitment for promotion: - 9. 1 The promotion to the post of Vaccinator shall be done through the departmental Selection Committee constituted as follows subject to the rejection of unfit:-

(i)	Head of the Department /Appointing Authority	**Chairman**
(ii)	Additional Director, Husbandry	**Member**
(iii)	Two officers designated by the Appointing authority	**Member**

2 A list of eligible candidates shall be prepared by the Appointing Authority and their character rolls and other such records pertaining to them shall be placed before the selection committee as may be considered appropriate.

3 The selection committee shall consider the cases of the candidates based on the records refersed in sub-rule (2).

4 The selection committee shall prepare a list of the selected candidates arranged in the order of seniority in the same cadre from which they are to be promoted and forward it to the appointing authority.

Part VI-Probation, Confirmation and Seniority

Probation : 10. (i) Every person on promotion to a post of vaccinator shall be placed on probation for a period of two years.

(ii) If it appears to the Appointing authority at any time during the probation period or at the end of the probation period or the extended period of probation that the probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction he may be reverted to his substantive post.

Confirmation : 11. A probationer person may confirmed in his appointment at the end of his probation period or extended probation period if :

(i) his work and conduct is reported to be satisfactory;

(ii) his integrity is certified, and

(iii) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority : 12. The seniority of the persons substantively appointed to a post in the service shall be determined from time to time in accordance with the Uttarakhand Government Servant Seniority Rules, 2002.

Part VII-Pay etc.

Scale of Pay : 13. (i) The Scales of pay admissible to the persons appointed to various categories of posts in the service shall be the same as determined by the Government from time to time.

(ii) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given in **Appendix "A".**

Part VIII-Other Provisions

Regulation of other matters : 14. In regard to such subjects which are not appointed to specifically covered under these Rules or special Orders, the persons appointed to service shall be governed by the Rules, Regulations and Orders generally applicable to government servants in connection with the of affairs of the state.

Saving 15. Nothing in these Rules shall affect reservation and other concessions required to the provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

Appendix "A"

S. No.	Designation	Pay scale	Number of post
1.	Vaccinator	₹ 21,700–69,100	296

By Order,

R. MEENAKSHI SUNDRAM,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 47 हिन्दी गजट/539–भाग 1–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2019 ई0 (अग्रहायण 02, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

October 14, 2019

No.1247/III-A-13/09/SLSA–Ms. Durga, Secretary, District Legal Services Authority, Uttarkashi is hereby sanctioned earned leave for a period of 10 days *w.e.f.* 30.09.2019 to 09.10.2019 alongwith prefix of 29.09.2019 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

October 16, 2019

No.1257/III-A-6/09/SLSA–Ms. Shivani Pasbola, Secretary, District Legal Services Authority, Haridwar is hereby sanctioned medical leave for a period of 07 days *w.e.f.* 17.09.2019 to 23.09.2019.

By Order of Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

Dr. G. K. SHARMA,

Member-Secretary.

NOTIFICATION

October 23, 2019

No.1287/III-A-3/SLSA/2019–In view of the powers conferred under Section-9(3) of the Legal Services Authorities Act, 1987, Rule-12(1) of the Uttarakhand State Legal Services Authority (Amendment) Rules, 2015 and in pursuance of the recommendation dated 22.10.2019 of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital is pleased to appoint **Sri Sudhir Kumar Singh, Chief Judicial Magistrate, Pauri Garhwal as Secretary, District Legal Services Authority, Chamoli *vice* Sri Ravi Prakash. This order will come into force *w.e.f.* 01.11.2019.**

By Order of the Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-
MOHD. YUSUF,
Officer on Special Duty.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

CHARGE CERTIFICATE

November $\frac{01}{02}$*, 2019*

(Handing over on transfer)

N0. 7096/Admin.(A)-UHC/2019–CERTIFIED that the Office of the Registrar (Judicial), High Court of Uttarakhand, Nainital, has been handed over by the undersigned in the afternoon of 01.11.2019 in compliance of Notification No. 263/UHC/Admin.A/2019, dated 22.10.2019.

KAUSHAL KISHORE SHUKLA,
Relieved Officer.

Countersigned,

HIRA SINGH BONAL,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand.

CHARGE CERTIFICATE

November 02, 2019

(Taking over on transfer)

N0. 7097/UHC/Admin.A/2019–CERTIFIED that the charge of Office of the Registrar (Judicial), High Court of Uttarakhand, Nainital, has been taken over by the undersigned in the afternoon of 01.11.2019 in compliance of Notification No. 270/UHC/Admin.A/2019, dated 22.10.2019 of High Court of Uttarakhand, Nainital.

DHARMENDRA SINGH ADHIKARI,
Relieving Officer.

Countersigned,

HIRA SINGH BONAL,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand, Nainital.

NOTIFICATION

November 04, 2019

No. 294/XIV-a/45/Admin.A/2015–Ms. Beenu Gulyani, Civil Judge (Jr. Div.), Bazpur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 20 days *w.e.f.* 30.09.2019 to 19.10.2019 with permission to prefix 29.09.2019 as Sunday holiday and suffix 20.10.2019 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

November 04, 2019

No. 295/XIV-a-27/Admin.A/2012–Ms. Chhavi Bansal, 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 02 days *w.e.f.* 09.10.2019 to 10.10.2019.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

November 06, 2019

No. 296/UHC/Stationery/2019–The Hon'ble High Court of Uttarakhand has been pleased to declare 23.12.2019 and 24.12.2019 (Monday & Tuesday) as holidays for the High Court of Uttarakhand. In lieu thereof, 07.12.2019 and 14.12.2019 (both Saturdays) shall be the Court Working day for the High Court.

By Order of the Hon'ble Court,
Sd/-
HIRA SINGH BONAL,
H.J.S.
Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

November 06/07 *2019*

No. 296-I/UHC/Admin.A/2019–In exercise of the powers conferred by Article 229 of the Constitution of India and all other powers enabling in that behalf, the Court has been pleased to make the following amendment in the Allahabad High Court Officers & Staffs (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, as applicable to High Court of Uttarakhand, Nainital under U.P. Reorganisation Act, 2000 :

Amendments in Allahabad High Court Officers & Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, as applicable to High Court of Uttarakhand, Nainital *vide* Section 30 of U.P. Reorganisation Act, 2000 is as follows:–

Existing Rule	Amendment
5. Academic qualification- (1) A candidate for recruitment to the post of peon and farrash must have passed Class V.	**5. Academic qualification & method of recruitment-** **(1) A candidate for recruitment to the posts mentioned in Rule 4(a) must have passed class 8th from a recognized Board/Institution.**

Existing Rule	Amendment
(2) A candidate for recruitment to the post of liftman must have passed class V and must, to the satisfaction of the appointing authority, also possess requisite knowledge and experience of running a lift. Preference shall be given to a qualified electrician. (3) No. academic qualification is required for the posts of Coolie, Bhisti, Sweeper, Mali, Fireman and Chowkidar, but a literate person will be preferred. (4) A candidate for the post of Mali must possess requisite knowledge and experience of the work of a Mali. (5) Knowledge of cycling will be essential for the post of peon and it will be an additional qualification for all other posts.	**(2) For the Direct Recruitment, an objective type multiple choice OMR based examination shall be taken, which shall comprise of 100 questions of one mark each, from the subjects, such as, General Knowledge, General English, General Hindi, General Science, Maths, Knowledge about Uttarakhand. Standard of question paper shall be of Junior High School (8th level), There shall be no negative marking. Qualifying marks for a candidate belonging to General category shall be 50% and for a candidate belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Other Backward Classes shall be 45%.** **(3) Direct Recruitment may be conducted by the High Court or by any authorized recruitment agency, as decided by the Chief Justice.**

This amendment will come into force with immediate effect.

NOTIFICATION

November $\frac{06}{07}$*, 2019*

No. 297/UHC/Admin.A/2019–In exercise of the powers conferred by Article 225 read with Article 235 of the Constitution of India and all other powers enabling in that behalf, the Court has been pleased to make the following amendment in High Court Rules, 1952, applicable to Uttarakhand under U.P. Reorganisation Act, 2000.

AMENDMENTS

The existing Rule 11 of Chapter XXIV of the Rules of the Court, 1952 shall be substituted as follows :–

11. (1) The Chief Justice may prohibit any Advocate involved or engaging in strike or otherwise interfering with the Administration of Justice, from practicing in the High Court or any Court subordinate thereto and the District Judge may prohibit such an Advocate from appearing in his Judgeship for the period specified in the order, however, such an advocate aggrieved by the order of the District Judge may represent to the Chief Justice.

Explanation : Strike resorted to in any Court or abstention from work in Court, by way of protest by an Advocate or group of Advocates or any Bar Association shall be deemed to be an act, which tends to interfere with the Administration of Justice.

(2) The High Court, initiating proceedings for criminal contempt against an Advocate, may prohibit such an Advocate, from practicing in the High Court or in any Court subordinate thereto during the pendency of contempt proceedings against him.

(3) The High Court convicting an Advocate for criminal contempt may prohibit him from practicing in the High Court and any Court subordinate thereto, for the period specified in the order:

Provided that before passing an order of debarment, the Court shall put the concerned Advocate to notice of the proposed action.

(4) Notwithstanding the provisions of sub-rule (3), the Chief Justice may prohibit an Advocate found guilty of criminal contempt, from practicing in the High Court or any court subordinate thereto and the District Judge, in like manner, may prohibit an Advocate from practicing in his Judgeship, for the period specified in the order.

(5) In the event, a Senior Advocate is prohibited from practice under any of the preceding sub-rules, his designation as Senior Advocate, shall be deemed to be suspended, from the date of the order, till the expiry of the period of prohibition prescribed :

Provided that the suspension of designation as Senior Advocate will not bar the High Court from cancelling his designation as Senior Advocate.

(6) The powers exercisable under sub-rules (2), (3) and (4) above, shall be in addition to the powers inherent in the High Court under the Contempt of Courts Act, 1971.

This amendment will come into force with immediate effect.

By Order of the Court,
Sd/-
HIRA SINGH BONAL,
Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION/RETIREMENT

November 08, 2019

No. 298/XIV-90/Admin.A/2003–The Government of Uttarakhand has issued Notification/Retirement No. 422/XXX(4)/2019-04(9)/2019 dated 08.11.2019, regarding voluntary retirement of Sri Mithilesh Jha, Judge, Family Court, Tehri Garhwal with immediate effect. The said Notification/Retirement reads as under :

"श्री मिथिलेश झा, न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, टिहरी गढ़वाल के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत किए जाने विषयक प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.10.2019 के क्रम में, महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या 7191/UHC/XIV-90/Admin.A/2003, दिनांक 06 नवम्बर, 2019 के माध्यम से प्रेषित मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की संस्तुति के आलोक में, शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2, भाग 2 से 4 के अध्याय 9 सेवानिवृत्ति के मूल नियम 56(घ) (1) में प्रावधानित तीन माह के नोटिस अवधि में, मूल नियम 56(घ) (2) के प्राविधान के तहत छूट प्रदान करते हुए, श्री मिथिलेश झा, न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, टिहरी गढ़वाल को तत्काल प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0/

राधा रतूड़ी,

अपर मुख्य सचिव"

Sd/-
Registrar General.

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, पिथौरागढ़

कार्यभार मुक्त प्रमाण–पत्र

22 जुलाई, 2019 ई0

पत्रांक 441/I–01–2019–प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा सिविल जज (सीनियर डिवीजन), पिथौरागढ़ का कार्यभार माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के परिपत्र संख्या–4349/XIV/a-34/Admin.A/2013, दिनांक 28 जून, 2019 के द्वारा दिनांक 22.07.2019 से दिनांक 03.08.2019 तक (दिनांक 21.07.2019 के रविवार अवकाश को पूर्वयोजित एवं दिनांक 04.08.2019 के रविवार अवकाश को पश्चात् योजित करते हुए) कुल तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत होने के फलस्वरूप आज दिनांक 20.07.2019 को अपराह्न में छोड़ा गया।

प्रतिहस्ताक्षरित,
ह0 (अस्पष्ट)
जनपद न्यायाधीश,
पिथौरागढ़।

रश्मि गोयल,
सिविल जज (सीनियर डिवीजन),
पिथौरागढ़।

कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र

05 अगस्त 2019 ई0

पत्रांक 473/I–01–2019–प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा सिविल जज (सीनियर डिवीजन), पिथौरागढ़ का कार्यभार दिनांक 22.07.2019 से दिनांक 03.08.2019 तक (दिनांक 21.07.2019 के रविवार अवकाश को पूर्वयोजित एवं दिनांक 04.08.2019 के रविवार अवकाश को पश्चात् योजित करते हुए) कुल तेरह दिन का अर्जित अवकाश माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के परिपत्र संख्या–4349/XIV/a-34/Admin.A/2013, दिनांक 28 जून, 2019 की स्वीकृति के फलस्वरूप उपभोग करने उपरान्त आज दिनांक 05.08.2019 को पूर्वाह्न में ग्रहण किया गया।

प्रतिहस्ताक्षरित,
ह0 (अस्पष्ट)
जनपद न्यायाधीश,
पिथौरागढ़।

रश्मि गोयल,
सिविल जज (सीनियर डिवीजन),
पिथौरागढ़।

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)

11 नवम्बर, 2019 ई0

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 4792/रा0कर आयु0 उत्तरा0/विधि–अनुभाग/Noti. Vo. I/2019–20/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएँ 920/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CT–45; 921/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CT–47 एवं 922/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CT–49, समदिनांकित 08 नवम्बर, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः त्रैमास अक्टूबर, 2019 से दिसम्बर, 2019 तथा जनवरी, 2020 से मार्च, 2020 हेतु प्ररूप GSTR-I में ब्यौरे प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा निर्धारित किए जाने; रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जिनका किसी वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, को माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44(1) के अधीन वित्तीय वर्ष 2017–18 तथा वर्ष 2018–19 हेतु वार्षिक विवरणी दाखिल किए जाने तथा उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2019 जारी किया जाना अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

08 नवम्बर, 2019 ई0

संख्या 920/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CT–45–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक का संकलित व्यापारावर्त रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में, जो माल या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए निम्न उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निम्न दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट त्रैमास के दौरान की गई माल या सेवा अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन प्ररुप जीएसटीआर–1 में उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समय सीमा तक प्रस्तुत करेंगे, अर्थात्–

सारणी

क्रम सं0	त्रैमास, जिसके लिए प्ररुप जीएसटीआर–1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं	प्ररुप जीएसटीआर–1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि
(1)	(2)	(3)
1.	अक्टूबर, 2019 से दिसम्बर, 2019	31 जनवरी, 2020
2.	जनवरी, 2020 से मार्च 2020	30 अप्रैल, 2020

3. अक्टूबर, 2019 से मार्च, 2020 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति ब्यौरे या विवरण प्रस्तुत करने की समय–सीमा तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

In Pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 920/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CT-45**, dated November 08, 2019 for general information.

NOTIFICATION

November 08, 2019

No. 920/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CT-45–WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to notify the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons, who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said registered persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in FORM GSTR-1 under the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:–

Table

Sl. No.	Quarter for which details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1.	October, 2019 to December, 2019	31st January, 2020
2.	January, 2020 to March, 2020	30th April, 2020

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 of the said Act, for the months of October, 2019 to March, 2020 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

अधिसूचना

08 नवम्बर, 2019 ई०

संख्या 921/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CT–47–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका किसी वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और जिन्होंने उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 80 के उपनियम (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन देय तारीख के पहले वार्षिक विवरणी नहीं दी है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के संबंध में विशेष प्रक्रिया का अनुसरण ऐसे करेंगे कि उक्त व्यक्तियों को उक्त नियमों के नियम 80 के उपनियम (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी देने का विकल्प होगा:

परन्तु उक्त विवरण को, यदि देय तारीख के पहले नहीं दी गई है, देय तारीख पर दी गई समझा जाएगा।

In Pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 921/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CT-47**, dated November 08, 2019 for general information.

NOTIFICATION

November 08, 2019

No. 921/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CT-47–WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to notify those registered persons whose aggregate turnover in a financial year does not exceed two crore rupees and who have not furnished the annual return under sub-section (1) of section 44 of the said Act read with sub-rule (1) of rule 80 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules,2017 (hereinafter referred to as the said rules) before the due date, as the class of registered persons

who shall, in respect of financial years 2017-18 and 2018-19, follow the special procedure such that the said persons shall have the option to furnish the annual return under sub-section (1) of section 44 of the said Act read with sub-rule (1) of rule 80 of the said rules :

Provided that the said return shall be deemed to be furnished on the due date if it has not been furnished before the due date.

अधिसूचना

08 नवम्बर, 2019 ई0

संख्या 922/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CT–49–राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहर्ष, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 को अग्रेत्तर संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्–

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (छठवाँ संशोधन) नियम, 2019

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (छठवाँ संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त होंगे।

नियम 21क में संशोधन

2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 21क में,–

(क) उपनियम (3) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

स्पष्टीकरण–इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "कोई कराधेय पूर्ति नहीं करेगा", से यह अभिप्रेत होगा कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कोई कर बीजक जारी नहीं करेगा और तद्नुसार, निलम्बन की अवधि के दौरान उसके द्वारा की गई पूर्तियों पर कर प्रभारित नहीं करेगा।

(ख) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

(5) जहाँ रजिस्ट्रीकरण के निलम्बन के प्रतिसंहरण को प्रभावी करने वाला कोई आदेश पारित हुआ है, वहाँ निलम्बन की अवधि के दौरान और उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में धारा 31 की उपधारा (3) का खण्ड (क) और धारा 40 के उपबंध लागू होंगे।

नियम 36 में संशोधन

3. उक्त नियम के नियम 36 में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उन विकलन पत्रों या बीजकों की बाबत उपभोग किए जाने वाला इनपुट कर प्रत्यय, जिनके ब्यौरे पूर्तिकारों द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अपलोड नहीं किए गए हैं, उन विकलन पत्रों या बीजकों की बाबत उपलब्ध पात्र प्रत्यय के 20% से अधिक नहीं होगा, जिनके ब्यौरे पूर्तिकारों द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अपलोड किए गए हैं।

नियम 61 में संशोधन

4. उक्त नियम के नियम 61 में,–

(क) 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी, नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए उपनियम (5) के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान उपनियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(5) जहाँ धारा 37 के अधीन प्ररुप जीएसटीआर–1 और धारा 38 के अधीन प्ररुप जीएसटीआर–2 में ब्यौरों को प्रस्तुत करने की समय सीमा का विस्तार किया गया है और परिस्थितियाँ ऐसा चाहती हैं, आयुक्त, अधिसूचना द्वारा यह ऐसी रीति और शब्दों को विनिर्दिष्ट करता है, जिनके अध्यधीन की विवरणी प्ररुप जीएसटीआर–3ख में इलेक्ट्रॉनिकली समान पोर्टल के माध्यम से सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी।	(5) जहाँ धारा 37 के अधीन प्ररुप जीएसटीआर–1 या धारा 38 के अधीन प्ररुप जीएसटीआर–2 में ब्यौरें प्रस्तुत करने की समय–सीमा बढ़ा दी गई है, वहाँ धारा 39 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विवरणी ऐसी रीति से और उन शर्तों के अधीन रहते हुए, जो आयुक्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्ररुप जीएसटीआर–3ख में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगाः परन्तु यह कि, जहाँ उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, वहाँ ऐसा व्यक्ति प्ररुप जीएसटीआर–3 में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होगा।";

(ख) दिनांक 01 जुलाई, 2017 से उपनियम (6) का लोप किया जाएगा।

नियम 83क में संशोधन

5. उक्त नियम के नियम 83क में, उपनियम (6) में, नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए खण्ड (i) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान खण्ड	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(i) नियम 83 के उपनियम (2) के निबंधनानुसार माल और सेवाकर व्यवसायी के रूप में नामांकित किसी व्यक्ति से नामांकन के दो वर्ष के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगाः परन्तु यदि किसी व्यक्ति को 01 जुलाई, 2018 के पूर्व माल और सेवाकर व्यवसायी के रूप में नामांकित किया जाता है तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक वर्ष और दिया जाएगाः परन्तु यह और कि किसी माल और सेवाकर व्यवसायी के लिए, जिसको नियम 83 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के उपबंध लागू होते हैं, परीक्षा उत्तीर्ण करने की अवधि उक्त नियम के उपनियम (3) के दूसरे परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट होगी।	(i) नियम 83 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति और जो उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकित है, से उक्त नियम के उपनियम (3) के दूसरे परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर परीक्षा पास करने की अपेक्षा है।

नियम 91 में संशोधन

6. उक्त नियम के नियम 91 में,–

(क) उपनियम (3) में, दिनांक 24 सितम्बर, 2019 से, "मंजूर रकम के लिए" शब्दों के पश्चात् "एक समेकित संदाय सूचना के आधार पर" शब्दों को अन्तःस्थापित किया जाएगा;

(ख) उपनियम (3) के पश्चात्, दिनांक 24 सितम्बर, 2019 से निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

(4) केन्द्रीय सरकार उपनियम (3) के अधीन जारी समेकित संदाय सूचना पर आधारित प्रतिदाय संवितरित करेगी।

नियम 97 में संशोधन

7. उक्त नियम के नियम 97 में,–

(क) उपनियम (7) के पश्चात्, दिनांक 01 जुलाई, 2017 से निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

(7क) समिति माल और सेवा कर पर प्रचार या उपभोक्ता जागरूकता के लिए, प्रत्येक वर्ष की निधि में प्रत्यय की गई रकम का 50% बोर्ड को उपलब्ध कराएगी, बशर्ते उपभोक्ता मामला विभाग की उपभोक्ता कल्याण क्रियाकलापों के लिए निधियों की उपलब्धता प्रति वर्ष पच्चीस करोड़ रुपये से कम नहीं है।

(ख) उपनियम (8) में, दिनांक 01 जुलाई, 2017 से खण्ड (ङ) का लोप किया जाएगा।

नियम 117 में संशोधन

8. उक्त नियम के नियम 117 में,–

(क) उपनियम (1क) में "31 मार्च, 2019" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "31 दिसम्बर, 2019" अंक, अक्षर और शब्द रखे जायेंगे।

(ख) उपनियम (4) में, खण्ड (ख) के उपखण्ड (iii) के परंतुक में "30 अप्रैल, 2019" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "31 जनवरी, 2020" अंक, अक्षर और शब्द रखे जायेंगे।

नियम 142 में संशोधन

9. उक्त नियम के नियम 142 में,–

(क) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

(1क) उचित अधिकारी कर, ब्याज और शास्ति से प्रमार्य किसी व्यक्ति को यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (1) या धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस की तामीली से पूर्व उक्त अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित किसी कर, ब्याज और शास्ति के ब्यौरे प्ररुप जीएसटी डीआरसी–01क के भाग क में संसूचित करेगा।

(ख) उपनियम (2) में, "अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर, ब्याज, शास्ति या किसी अन्य शोध्य रकम" शब्दों के पश्चात्, "चाहे उसके स्वयं के अभिनिश्चय पर या, उपनियम (1क) के अधीन उचित अधिकारी द्वारा यथासंसूचित," शब्द, अंक और कोष्ठक अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

(ग) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

(2क) जहाँ उपनियम (1क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने उसे संसूचित रकम का भागिक संदाय किया है या वह प्रस्तावित दायित्व के विरुद्ध कोई निवेदन फाइल करने का इच्छुक है, वहाँ वह ऐसा निवेदन प्ररुप जीएसटी डीआरसी–01क के भाग ख में कर सकेगा।

प्ररुप जीएसटी डीआरसी–01क का अन्तःस्थापन

10. उक्त नियम में, प्ररुप जीएसटी–डीआरसी–01 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररुप अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्–

"प्ररुप जीएसटी–डीआरसी–01क

धारा 73(5)/74(5) के अधीन यथासंदेय अभिनिश्चित कर की सूचना

[नियम 142 (1क) देखें]

भाग क

सं0: तारीख:

मामला आईडीसं0

सेवा में,

जीएसटीआईएन.....

नाम..... पता.....

विषय: मामला कार्यवाही संदर्भ सं0.....–धारा *73(5)/ धारा 74(5)* के अधीन दायित्व की सूचना–से संबंधित

कृपया उपरोक्त कार्यवाही का संदर्भ लें। इस संदर्भ में, उपलब्ध जानकारी के निबंधनों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा अभिनिश्चित उक्त मामले के संदर्भ में धारा 73(5)/74(5) के अधीन आपके द्वारा संदेय कर/ब्याज/शास्ति की रकम नीचे दिए गए अनुसार है:

अधिनियम	अवधि	कर			
सीजीएसटी अधिनियम					
एसजीएसटी अधिनियम					
आईजीएसटी अधिनियम					
उपकर					
कुल					

आधार और परिमाणीकरण नीचे दिया गया/संलग्न है:

आपको सलाह दी जाती है कि ..... तक उपरोक्त यथा अभिनिश्चित पूरी कर की रकम, लागू ब्याज की रकम के साथ संदाय करें, जिसके न होने की दशा में धारा 73(1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी

आपको सलाह दी जाती है कि ..... तक उपरोक्त यथा अभिनिश्चित पूरी कर की रकम लागू ब्याज और धारा 74(5) के अधीन शास्ति की रकम के साथ संदाय करें, जिसके न होने की दशा में धारा 74(1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी।

यदि आप उपरोक्त अभिनिश्चिय के विरुद्ध कोई निवेदन फाइल करना चाहते हैं तो उसे इस प्ररुप के भाग ख में..... तक प्रस्तुत किया जाए।

उचित अधिकारी

हस्ताक्षर..... नाम.....

पदनाम.....

संलग्नक अपलोड करें

भाग ख

कारण बताओं नोटिस के जारी होने के पूर्व संदाय के लिए संसूचना का जवाब

[नियम 142 (2क) देखें]

सं0: तारीख:

सेवा में,

उचित अधिकारी,

शाखा (विंग)/क्षेत्राधिकार।

विषय: मामला कार्यवाही संदर्भ सं0.....–धारा *73(5)*/धारा *74(5)* के अधीन सूचित दायित्व के उत्तर में संदाय/निवेदन –से संबंधित

कृपया मामला आईडी.....के संबंध में संसूचना आईडी.....का संदर्भ लें, जिसके द्वारा धारा 73(5)/74(5) के अधीन यथा अभिनिश्चित संदेय कर का दायित्व सूचित किया गया था।

इस संबंध में,

(क) यह सूचित किया जाता है कि उक्त दायित्व को.....रुपए के विस्तार तक..... के माध्यम से भागिकरूप से उन्मोचित कर दिया गया है और शेष दायित्व के संबंध में निवेदन नीचे दिया गया/संलग्न है:

या

(ख) उक्त दायित्व स्वीकार्य नहीं है और इस संबंध में निवेदन नीचे दिया गया/संलग्न है:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम.....

जीएसटीआईएन.....

पता.....

संलग्नक अपलोड करें*।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

In Pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 922/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CT-49**, dated November 08, 2019 for general information.

NOTIFICATION

November 08, 2019

No. 922/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CT-49–In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor is pleased to make the following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:–

The Uttarakhand Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2019

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2019.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force from the 09th day of October, 2019

Amendment in Rule 21A

2. In the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in Rule 21A,–

(**a**) in sub-rule (3), the following explanation shall be inserted, namely:–

"**Explanation**–For the purposes of this sub-rule, the expression "shall not make any taxable supply" shall mean that the registered person shall not issue a tax invoice and, accordingly, not charge tax on supplies made by him during the period of suspension.";

(**b**) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:–

"(5) Where any order having the effect of revocation of suspension of registration has been passed, the provisions of clause (a) of sub-section (3) of section 31 and section 40 in respect of the supplies made during the period of suspension and the procedure specified therein shall apply."

Amendment in Rule 36

3. In the said rules, in rule 36, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:–

(4) Input tax credit to be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes, the details of which have not been uploaded by the suppliers under sub-section (1) of section 37, shall not exceed 20 per cent. of the eligible credit available in respect of invoices or debit notes the details of which have been uploaded by the suppliers under sub-section (1) of section 37.

Amendment in Rule 61

4. In the said rules, in rule 61–

(a) with effect from the 1st July, 2017, for sub-rule (5) set out in column-1 below, the sub-rule set out in column-2, shall be substituted, namely:–

Column-1	Column-2
Existing sub-rule	*Hereby substituted sub-rule*
(5) Where the time limit for furnishing of details in **FORM GSTR-1** under section 37 and in **FORM GSTR-2** under section 38 has been extended and the circumstances so warrant, the Commissioner may, by notification, Specify the manner and conditions subject to which the return shall be furnished in **FORM GSTR-3B** electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.	(5) Where the time limit for furnishing of details in **FORM GSTR-1** under section 37 or in **FORM GSTR-2** under section 38 has been extended, the return specified in sub-section (1) of section 39 shall, in such manner and subject to such conditions as the Commissioner may, by notification, specify, be furnished in **FORM GSTR-3B** electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner: Provided that where a return in **FORM GSTR-3B** is required to be furnished by a person referred to in sub-rule (1) then such person shall not be required to furnish the return in **FORM GSTR-3**.

(b) sub-rule (6) shall be omitted with effect from the 1st July, 2017.

Amendment in Rule 83A

5. In the said rules, in rule 83A, in sub-rule (6), for clause (i) set out in column-1 below, the clause set out in column-2, shall be substituted, namely:–

Column-1	Column-2
Existing clause	*Hereby substituted clause*
(i) A person enrolled as a goods and services tax practitioner in terms of sub-rule (2) of rule 83 is required to pass the examination within two years of enrolment : Provided that if a person is enrolled as a goods and services tax practitioner before 1st of July 2018, he shall get one more year to pass the examination : Provided further that for a goods and services tax practitioner to whom the provisions of clause (b) of sub-rule (1) of rule 83 apply, the period to pass the examination will be as specified in the second proviso of sub-rule (3) of said rule.	(i) Every person referred to in clause (b) of sub-rule (1) of rule 83 and who is enrolled as a goods and services tax practitioner under sub-rule (2) of the said rule is required to pass the examination within the period as specified in the second proviso of sub-rule (3) of the said rule.

Amendment in Rule 91

6. In the said rules, in rule 91,–

(**a**) in sub-rule (3), with effect from the 24th September, 2019, after the words "application for refund", the words "on the basis of a consolidated payment advice:" shall be inserted;

(**b**) after the sub-rule (3), with effect from the 24th September, 2019, the following sub-rule shall be inserted, namely:–

(4) The Central Government shall disburse the refund based on the consolidated payment advice issued under sub-rule (3).

Amendment in Rule 97

7. In the said rules, in rule 97,–

(**a**) after sub-rule (7), with effect from the 1st July, 2017, the following sub-rule shall be inserted, namely,–

(7A) The Committee shall make available to the Board 50 per cent. of the amount credited to the Fund each year, for publicity or consumer awareness on Goods and Services Tax, provided the availability of funds for consumer welfare activities of the Department of Consumer Affairs is not less than twenty-five crore rupees per annum.

(**b**) in sub-rule (8), with effect from the 1st July, 2017, clause (e) shall be omitted.

Amendment in Rule 117

8. In the said rules, in rule 117–

(**a**) in sub-rule (1A) for the figures, letters and word "31st March, 2019", the figures, letters and word "31st December, 2019" shall be substituted.

(**b**) in sub-rule (4), in clause (b), in sub-clause (iii), in the proviso for the figures, letters and word "30th April, 2019", the figures, letters and word "31st January, 2020", shall be substituted.

Amendment in rule 142

9. In the said rules, in rule 142,–

(**a**) after sub-rule (1) the following sub-rule shall be inserted,namely:–

(**1A**) The proper officer shall, before service of notice to the person chargeable with tax, interest and penalty, under sub-section (1) of Section 73 or sub-section (1) of Section 74, as the case may be, shall communicate the details of any tax, interest and penalty as ascertained by the said officer, in **Part A of FORM GST DRC-01A.**

(**b**) in sub-rule (2), after the words "in accordance with the provisions of the Act", the words, figures and brackets, "whether on his own ascertainment or, as communicated by the proper officer under sub-rule (1A)," shall be inserted.

(**c**) after sub-rule (2) the following sub-rule shall be inserted, namely:–

(2A) Where the person referred to in sub-rule (1A) has made partial payment of the amount communicated to him or desires to file any submissions against the proposed liability, he may make such submission in **Part B** of **FORM GST DRC-01A**.

Insertion of FORM GST DRC-01

10. In the said rules, after **FORM GST DRC-01**, the following form shall be inserted, namely:–

"FORM GST DRC-01A"

Intimation of tax ascertained as being payable under section 73(5)/74(5)

[*See Rule 142 (1A)*]

Part A

No.: Date:

Case ID No.

To,

GSTIN.....

Name.....

Address.....

***Sub.**:Case Proceeding Reference No. ..... -Intimation of liability under section 73(5)/section 74(5)–reg.*

Please refer to the above proceedings. In this regard, the amount of tax/interest/penalty payable by you under section 73(5)/74(5) with reference to the said case as ascertained by the undersigned in terms of the available information, as is given below:

Act	Period	Tax			
CGST Act					
SGST Act					
IGST Act					
Cess					
Total					

The grounds and quantification are attached/given below:

You are hereby advised to pay the amount of tax as ascertained above along with the amount of applicable interest in full by....., failing which Show Cause Notice will be issued under section 73(1).

You are hereby advised to pay the amount of tax as ascertained above along with the amount of applicable interest and penalty under section 74(5) by ....., failing which Show Cause Notice will be issued under section 74(1).

In case you wish to file any submissions against the above ascertainment, the same may be furnished by.....in Part B of this Form.

Proper Officer

Signature.....

Name.....

Designation.....

Upload Attachment

Part B

Reply to the communication for payment before issue of Show Cause Notice

[See Rule 142 (2A)]

No.: Date:

To,

Proper Officer,

Wing/Jurisdiction.

Sub.: *Case Proceeding Reference No. ..... –Payment/Submissions in response to liability intimated under Section 73(5)/74(5)–reg.*

Please refer to Intimation ID.....in respect of Case ID.....*vide* which the liability of tax payable as ascertained under section 73(5)/74(5) was intimated.

In this regard,

(A) this is to inform that the said liability is discharged partially to the extent of Rs. ..... through .....and the submissions regarding remaining liability are attached/given below :

OR

(B) the said liability is not acceptable and the submissions in this regard are attached/given below:

Authorised Signatory

Name.....

GSTIN.....

Address.....

Upload Attachment".

By Order,

AMIT SINGH NEGI,
Secretary.

विपिन चन्द्र,
अपर आयुक्त राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 47 हिन्दी गजट/539–भाग 1–क–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।